

कार्यालय निदेशक, पशुपालन विभाग (उत्तराखण्ड), पशुधन भवन, मोथरोवाला-देहरादून।
संख्या-4235 / नि.-5 / एक(68) / आय-व्यय / 2024-25 दिनांक 07 दिसम्बर, 2024.
सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,

नैनीताल / ऊधमसिंहनगर / अल्मोड़ा / बागेश्वर / पिथौरागढ़ / चम्पावत /
देहरादून / पौड़ी / टिहरी / चमोली / रुद्रप्रयाग / उत्तरकाशी / हरिद्वार।

विषय:-

चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सैक्टर के अन्तर्गत (अनु.-30 एवं 31) धनराशि अवमुक्त करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1854 / XV-1 / 24-1(2) / 19 / 23928, दिनांक 25 नवम्बर, 2024 (आई.डी. हस्ताक्षरित 04-12-2024) द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में बकरी पालन, भेड़ पालन एवं गौ पालन योजना के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष अनुदान संख्या-30 के अन्तर्गत ₹ 218.79 लाख एवं अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत ₹ 43.74 लाख कुल ₹ 262.53 लाख की धनराशि इस कार्यालय को अवमुक्त की गई है, इस आवंटित धनराशि को निम्न विवरणानुसार उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित आपके निर्वर्तन पर प्रदिष्ट किया जा रहा है:-

(धन.हजार ₹ में)

क्र. सं.	जनपद का नाम	स्पेशल						ट्राइबल					
		बकरी पालन		भेड़ पालन		गौ पालन		बकरी पालन		भेड़ पालन		गौ पालन	
		आवंटित इकाई	वर्तमान आवंटन	आवंटित इकाई	वर्तमान आवंटन	आवंटित इकाई	वर्तमान आवंटन	आवंटित इकाई	वर्तमान आवंटन	आवंटित इकाई	वर्तमान आवंटन	आवंटित इकाई	वर्तमान आवंटन
1	नैनीताल	07	441	00	00	15	540	00	00	00	00	00	00
2	ऊसिनगर	12	756	00	00	13	468	04	252	00	00	08	288
3	अल्मोड़ा	22	1386	00	00	64	2304	00	00	00	00	00	00
4	बागेश्वर	18	1134	20	1260	13	468	06	378	07	441	05	180
5	पिथौरागढ़	09	567	01	63	04	144	05	315	03	189	03	108
6	चम्पावत	15	945	00	00	45	1620	00	00	00	00	11	396
7	देहरादून	12	756	01	63	22	792	14	882	02	126	09	324
8	पौड़ी	15	945	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
9	टिहरी	12	756	01	63	27	972	00	00	00	00	02	72
10	चमोली	09	567	01	63	10	360	00	00	01	63	01	36
11	रुद्रप्रयाग	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
12	उ.काशी	12	756	07	441	32	1152	02	126	02	126	02	72
13	हरिद्वार	15	945	00	00	32	1152	00	00	00	00	00	00
	योग	158	9954	31	1953	277	9972	31	1953	15	945	41	1476

1. उक्त आवंटित धनराशि का उपयोग इस कार्यालय के पत्र संख्या-463 / नि.-5 / एक(68) / आय-व्यय / 2024-25 दिनांक 03 मई, 2024 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए किया जाय।

इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-30 एवं 31 के अंतर्गत संलग्न एलाटमेंट आई.डी. में अंकित लेखाशीर्षक / मानक मद के अंतर्गत वहन किया जायेगा।
संलग्न-एलाटमेंट आई.डी.

भवदीय,

(शुभम तोमर)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी,
कृते-निदेशक।

संख्या- 4235 / नि.-5 / एक(63) / आय-व्यय / 2024-25 उक्त दिनांक-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल / ऊधमसिंहनगर / अल्मोड़ा / बागेश्वर / पिथौरागढ़ / चम्पावत / देहरादून / पौड़ी / नरेन्द्रनगर(टिहरी) / गोपेश्वर(चमोली) / रूद्रप्रयाग / उत्तरकाशी / हरिद्वार।
- 2- लेखा / पशुधन / संख्या शाखा, मुख्यालय।
- 3- उप निदेशक, MIS मुख्यालय को बैवसाईड में अपलोड करने हेतु।
- 4- संयुक्त निदेशक, पशु प्रजनन / लघु पशु मुख्यालय।
- 5- अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, हल्द्वानी-नैनीताल / पौड़ी।
- 6- सचिव, उत्तराखण्ड शासन, पशुपालन अनुभाग-1, सचिवालय-देहरादून।
- 7- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8- गार्ड फाईल।



(शुभम तोमर)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी,
कृते-निदेशक।